भवन कर (हाउस टैक्स) की गणना कैसे करें

1. स्व–कर निर्धारण फार्म पुस्तिका में छपे प्रारूपों की छायाप्रति या जोन कार्यालय में उपलब्ध प्रपत्र का उपयोग करें।
2. फार्म भरने से पूर्व पूर्ण रूप से पढ़े।
3. भवन/भूखण्ड का नम्बर (निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त) प्रयोग करें।
4. भवन के कारपेट एरिया की गणना निम्न प्रकार करें–
   - (अ) कमरे, ड्राइंग रूम, आच्छादित बरामदे का पूरा क्षेत्रफल (लम्बाई **X** चौड़ाई)
   - (ब) किचन, स्टोर, बालकनी, कारीडोर के क्षेत्रफल (लम्बाई **X** चौड़ाई) का **50%**
   - (स) गैराज के क्षेत्रफल (लम्बाई **X** चौड़ाई) का **25%**
   - (द) स्नानागृह, शौचालय, पोर्टिको, जीने से आच्छादित भाग की माप नहीं की जायेगी।

   भवन का कुल कारपोरेट एरिया **=** अ**+**ब**+**स .... वर्गफुट

   अथवा

   स्वकर निर्धारण हेतु कारपेट एरिया क्षेत्रफल भवन के कुल आच्छादित एरिया क्षेत्रफल (सभी तलों का) का 80 प्रतिशत होगा।
5. निर्धारित मासिक किराया की दर से कारपेट एरिया के योग को गुणा करें इसे 12 से गुणा करने पर वार्षिक किराया मूल्यांकन **(ARV)** प्राप्त होगा।

सामान्य कर

6. उपरोक्त गणना के आधार पर वार्षिक किराया मूल्यांकन **(ARV)** का 11 प्रतिशत सामान्य कर होगा।
7. प्रपत्र–'क' पर भवन का विवरण अंकित करें।
8. नगर निगम द्वारा निर्धारित दिनांक के उपरान्त गृहकर पर 12 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
9. *यदि "प्रपत्र–क" में गलत विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तो <u>रूपया 1000 तक जुर्माना</u> होगा तथा कम जमा किया हुआ कर उसी दिनांक से 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किया जायेगा।*
10. भवन किराये पर देने/रिक्त होने/भवन में निर्माण/पुननिर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल 25 प्रतिशत या अधिक वृद्धि होने पर "प्रपत्र–ख" में एक नया विवरण साठ दिनों के भीतर जमा करें।